भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0–190B/2017–18

1.आरती देवी 2. दुर्गाचरण महतो 3. सुरेन्द्र महतो

बनाम

मालती देवी

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

30-8-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1110 दिनांक 28.06.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 190 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. आरती देवी पति स्व0 शैलेन्द्र महतो 2. दुर्गाचरण महतो एवं सुरेन्द्र महतो दोनों के पिता स्व0 लाल मोहन महतो, ग्राम–मानिकबाजार, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला– खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च एवं गृह मरम्मति हेतु क्रेता मालती देवी पति श्री लाल बाबु महतो, ग्राम–स्वर्णरेखा कॉलोनी, वार्ड नं0–10, सरायकेला, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
मानिक बाजार	286	102	751	0.11.25 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता नं0–1 ससुर तथा विक्रेता नं0–2 एवं 3 के पिता एवं अन्य के नाम से नामांतरित भूमि है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। जिसमें से 0.11.25 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 6.07.75 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.11.25 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner